<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

संसद का शीतकालीन सत्र, 2012, जो गुरूवार, 22 नवंबर, 2012 को आरंभ हुआ था, गुरूवार, 20 दिसंबर, 2012 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 29 दिनों की अवधि में कुल 20 बैठकें हुईं।

2. लोक सभा में, श्रीमती सुषमा स्वराज ने नियम 184 के अंतर्गत दिनांक 04.12.2012 को मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को वापस लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रो. सौगत रॉय और श्री हसन खान ने भी विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत की गई अधिसूचना के आशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दिनांक 30.11.2012 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा। इन प्रस्तावों पर एकसाथ चर्चा की गई और चर्चा में लगभग 11 घंटे लगे। श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर सदन में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम ''हां – 229 और नहीं – 258'' रहा था। तदनुसार प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। प्रो. सौगत रॉय द्वारा लाए गए प्रस्ताव को भी ''हां – 227 और नहीं – 258'' के मत-विभाजन के साथ अस्वीकृत कर दिया गया।

3. राज्य सभा में, डॉ. वी. मैत्रयन द्वारा लाए गए प्रस्ताव, कि यह सदन मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफ.डी.आई. को अनुमति देने के सरकार के निर्णय का निरनुमोदन करती है, पर नियम 168 के अंतर्गत चर्चा हुई और ''हां – 102 और नहीं – 123'' के मत-विभाजन के साथ प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक, 2012 जो कर्नाटक राज्य के तत्कालीन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र जिसमें गुल्बर्ग, बिदर, रायचूर, कोप्पल और यादगीर जिले शामिल हैं और अतिरिक्त रूप से बेल्लारी जिला शामिल है, के लिए विशेष उपबंध करने की मांग करता है, पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और उसे पारित किया गया। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में बाधा मुक्त आरक्षण उपलब्ध कराके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित की सुरक्षा करने की मांग करने वाले दूसरे संविधान (एक सौ सतरहवां संशोधन) विधेयक, 2012 को भी राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

5. सत्र के दौरान, लोक सभा में वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान किया गया और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात राज्य सभा द्वारा संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार किया गया और लौटाया गया।

6. लोक सभा में, एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पावधि चर्चा हुई।

7. लोक सभा में (i) देश में डेंगू और चिकनगुनिया के प्रसार; (ii) तमिलनाडु में भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके नारियल पैदा करने वालों की दुर्दशा; और (iii) जूट की पैकिंग सामग्री के अवमिश्रण पर तीन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और राज्य सभा में अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ के निलंबन से उत्पन्न स्थिति पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

8. महत्वपूर्ण महत्व और इस तरह के रूप में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की सरकार की नीति पर बल के साथ विधेयक (i) धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011; (ii) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011; तथा (iii) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

9. सत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह था कि कई बिल

10. सत्र के दौरान, 9 विधेयक (7 विधेयक लोक सभा में और 2 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 7 विधेयक और राज्य सभा ने 8 विधेयक पारित किए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 7 है। सत्र के दौरान पुर:स्थापित किए गए, विचार और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

पंद्रहवीं लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 227वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2012) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012
2. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
3. दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012
4. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012
5. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2012
6. राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2012
7. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012
8. *भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2012

II. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011
2. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011
3. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2012
5. संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012
6. बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011
7. कंपनी विधेयक, 2012

III. राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012
2. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012

IV. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012
2. धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012
3. संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2012
5. संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012
6. *विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2012

V. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012
2. धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2012
4. संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012
5. *विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2012

****